

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ: दिनांक 7 फरवरी, 2017

विषय: राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद आगरा नगर में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत डाली गयी सीवर लाइन को जनापयोगी बनाने हेतु हाउस कनेक्टिंग चैम्बरों के निर्माण हेतु पंचम किशत को अवमुक्त करने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर) उओप्रओ जल निगम लखनऊ के पत्र संओ 188/नागर-2/033-410/16, दिनांक 06.09.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-175/2015-1179/नौ-5-15-189बजट/2014 दिनांक 12-06-2015 द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद आगरा नगर में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत डाली गयी सीवर लाइन को जनापयोगी बनाने हेतु हाउस कनेक्टिंग चैम्बरों के निर्माण हेतु निर्धारित लागत रू 3765.52 के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में स्वीकृत धनराशि रू 200.00 लाख, शासनादेश संख्या-11/2016-6330/नौ-5-15-189बजट/2014, दिनांक 15-01-2016 द्वारा द्वितीय किशत के रूप में रू 200.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-70/2016-1133/नौ-5-15-189बजट/2014, दिनांक 30-03-2016 द्वारा तृतीय किशत के रूप में रू 200.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-176/2016-1793/नौ-5-15-189बजट/2014, दिनांक 22-06-2016 द्वारा रू 500.00 लाख अर्थात् कुल रू 1100.00 लाख का उपभोग हो जाने के दृष्टिगत पंचम किशत के रूप में रू 1000.00 लाख (रू दस करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न बीओएमओ प्रपत्र-9 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) संदर्भित शासनादेश संख्या-317/2015-1479/नौ-5-15-65बजट/2015 दिनांक 08-08-2015 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (2) उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उओप्रओ जल निगम, लखनऊ तथा विशेष कार्याधिकारी, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके लखनऊ कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय होने तथा कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये जाने के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उरी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।
- (8) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्ष "2217- शहरी विकास -05-अन्य शहरी विकास योजनाये-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" से आहरित कर लेखाशीर्ष "2215- जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-107-मल जल सेवार्ये-03-सीवरज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।
संतुष्टक-यथोक्त।

भवदीय



(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी ।

संख्या-34 / 2017-465/नौ-5-17-189बजट/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशर:-

- 1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, आगरा ।
- 3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
- 6- नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा ।
- 7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 8- मुख्य अभियंता (आ0क्षे0), 30प्र0 जल निगम, आगरा ।
- 9- महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण, इकाई जल निगम, आगरा ।
- 10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
- 11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 12- गाई फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आसा से,



(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी ।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन
अनुदान संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37- नगर विकास विभाग, वित्तीय वर्ष 2016-17

(धनराशि हजार ₹0 में)

लिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2217- शहरी विकास -05-अन्य शहरी विकास योजनाये-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	900000	100000	100000	100000	800000
योग	900000	100000	100000	100000	800000
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2215- जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-107-मल जल सेतार्ये-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	100000	200000	100000	100000	200000
योग	100000	200000	100000	100000	200000

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

- (1) सीवरेज कार्यक्रम के अन्तर्गत परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचत हो रही है।
- (2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक-व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-
नगर निकायों के लिये सीवरेज कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।
- (3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या-419-ई-8-216/दस-2017, दिनांक 06.02. 2017

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्यधिकारी,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या- 34 /2017-465 (1) /नौ-5-2017-189 बजट/2014 तददिनांक
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, लखनऊ / आगरा।
- 3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 4- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 6- महा प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, आगरा।
- 7- मुख्य अभियन्ता (आ0 क्ष0), 30प्र0 जल निगम, आगरा।
- 8- नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, 30प्र0 जल निगम, आगरा।
- 9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
- 10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्यधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-07/02/2017

प्रेषण संख्या:- 34
आवंटन आदेश संख्या:- 001-34-2017-465-9-5-17-189B-2014
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	100000000	100000000
		प्रगामी	100000000	100000000
	योग	वर्तमान	100000000	100000000
		प्रगामी	100000000	100000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़



(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी